मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 423-424 | प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 688 / 2016

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2020

आवेदकः–
मेसर्स पेरागान वाटर टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.
501–502, विक्रम टॉवर, चौथा माला,
सपना–संगीता मेन रोड़,
इन्दौर – 452 001 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
मेसर्स ग्रेनटेक फुड इंडिया प्रा. लि.,
प्लॉट न0 आर–7,
औद्यौगिक क्षेत्र घिरोंगी, मालनपुर
जिला भिण्ड – 477 001 (म.प्र.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 14.07.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 28.07.2020
6 अगस्त 2020

आवेदक ने दिनांक 08.03.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 87,500/– एवं दिनांक 29.02.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 51,168/– कुल बकाया राशि रू. 1,38,668/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

आवेदक द्वारा अनावेदक को दिये गये कोटेशन को स्वीकार करते हुए, अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 19.07.2011 से राशि रू. 50,000/– का अग्रिम चेक दिया एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना एवं मशीन के प्रदाय हेतु प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 आवेदक को जारी किया गया।

आवेदक द्वारा अनावेदक के प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 के अनुसार अनावेदक को सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना एवं मशीन का प्रदाय कर राशि रू. वेट टैक्स सहित राशि रू. 8,47,500/– की इन्वाईस क्रमांक 011006/13–14, दिनांक 18.11.2013 एवं किराया–भाड़ा की राशि रू. 17,000/– की इन्वाईस क्रमांक SB00024/13–14, दिनांक 02.12.2013 कुल राशि रू. 8,65,025/– की इन्वाईसेस, अनावेदक को भुगतान हेतु प्रेशित की गई।

आवेदक द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की मशीन का प्रदाय डिलेवरी चालान क्रमांक एम–00006/13–14, दिनांक 18.11.2013 लारी संख्या Pw 0960, दिनांक 19.11.2013 सुपर गुड्स ट्रान्सपोर्ट, इन्दौर एवं डिलेवरी चालान क्रमांक MF 000035/13-14, दिनांक 23.11.2013 लारी संख्या 2510195, दिनांक 23.11.2013, वी.ट्रांस इंडिया लिमिटेड, इन्दौर से किया गया है।

..........2

आवेदक द्वारा अनावेदक के प्रदाय आदेशानुसार कार्य पूर्ण किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु मिनिट्स ऑफ मिटींग रिपोर्ट दिनांक दिनांक 28.11.2013 प्रस्तुत है।

आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री की कुल राशि रू. 8,65,025/– में से अनावेदक द्वारा राशि रू. 7,77,525/– का भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 87500/– का भुगतान अनावेदक द्वारा यह कर रोका गया कि दस प्रतिशत राशि प्लांट के इन्टालेशन के तुरंत बाद भुगतान कर देंगे। प्लांट का इन्स्टालेशन दिनांक 28.11.2013 को कर दिया गया तथा आवेदक एवं अनावेदक ने संयुक्त रूप से इसकी सहमति एमओएम के द्वारा की है।

आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के विरूद्ध कोई आपत्ति/शिकायत की जानकारी निरंक उल्लेखित की है।

अतः आवेदक द्वारा अनावेदक पर बकाया राशि रू. 87,500/– एवं दिनांक 29.02.2016 तक की ब्याज राशि रू. 51,168/– तथा भुगतान दिनांक तक का ब्याज अनावेदक से दिलवाने हेतु दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2387–2388 दिनांक 18.03.2016, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा दिनांक 19.04.2017 को प्रस्तुत उत्तर में लेख किया गया कि :–

1. अनावेदक द्वारा ई.टी.पी. के संपादन हेतु दिनांक 19.07.2011 को आदेश दिया गया था और चेक न0 260434 से रू. 50,000/– अग्रिम दिये थे। आवेदक फर्म को ई.टी.पी. के कार्य को पुरा करने के लिये छ माह का समय दिया गया था, परन्तु आवेदक फर्म द्वारा निरन्तर प्रयास के उपरांत भी अक्टूबर 2013 तक कार्य पूर्ण नही किया है, जबकि फरवरी 2013 एवं जूलाई 2013 में मांग करने पर ओर भी अग्रिम राशि दी गई है। आवेदक द्वारा आर्डर देने के 2 वर्ष बाद नवम्बर 2013 में ई.टी.पी. का सामान पंहूँचाया है और कार्य भी अधुरा छोड़ दिया गया है।
2. ई.टी.पी. कार्य समय पर पूर्ण नही होने पर, अनावेदक को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृति नही मिली, जिसकी वजह से कंपनी का कामर्शियल प्रोडक्शन चालु नही हो सका, जिसकी वजह से कंपनी को पारले बिस्किट्स प्रा. लि. के समन गुडविल एवं इन्टरेस्ट का लॉस हुआ है, जिसका प्रमाण बैंलेन्स शीट से होता है।
3. अनावेदक कंपनी के प्रोडक्शन मैनेज़र श्री प्रदीप कुमार पांडेय जी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात आवेदक को फोन पर सूचित किया कि कार्य अधुरा व गलत किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नही लिया गया है।
4. पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा फेक्ट्री का निरीक्षण किया गया और वही कमिया पाई गई औरनोटिस क्रमांक 1758, दिनांक 03.05.2014 प्राप्त हुआ, जो प्रस्तुत है, के कारण अनावेदक कंपनी

.........3

को पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का क्लीयरेंस नही मिला और कार्य को बीच में छोड़कर ई.टी.पी में सुधार करवाना पड़ा, जिसकी सूचना आवेदक को फोन द्वारा दी गई, फिर भी आवेदक द्वारा कोई कार्य नही कराया गया।

5. पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा दिये गये नोटिस का समय पालन करना अनिवार्य था, इसलिये अन्य द्वारा कार्य को पूर्ण कराया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक की 10 प्रतिशत राशि रोकी गई है। आवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नही किया गया है। आवेदक के अर्ताव के कारण अनावेदक का प्रोडक्शन दो वर्ष बाद पूर्ण हो सका है एवं आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है।

<u>अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 19.04.2016 पर आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया :–</u>

1. मेसर्स ग्रेनटेक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवेदक के ऑफर (कोटेशन) नंबर PWTPL/WW TO/029/ 0079/11-12 दिनांक 20.05.2011 के सन्दर्भ मे एक सप्लाई आर्डर राशि रु 8,25,000/– का दिया था तथा उसके साथ टोकन एडवांस के रूप मैं रु 50000/– का चेक दिया था जबकि कोटेशन के अनुसार आर्डर के साथ आर्डर की कुल कीमत का 40 प्रतिशत एडवांस के रूप मे देय है। अनावेदक ने रू. 50000/– मात्र टोकन एडवांस के रूप मे यह कहते हुए दिये थे, की विस्तृत आर्डर एवं एडवांस बाद मे भेज देवेगे!

2. अनावेदक से विस्तृत आर्डर तथा पूर्ण एडवांस प्राप्त नहीं हुआ तथा आवेदक द्वारा किये गये Follow-Up मे कोई संतोश जनक जवाब अनावेदक से प्राप्त नहीं हुआ इस स्थिति मैं उक्त आर्डर पर किसी प्रकार की डिजाइन या निर्माण करना संभव नहीं था.

3. अनावेदक ने फरवरी 2013 में लगभग डेढ़ वर्ष बाद आवेदक से पुनः संपर्क किया, आर्डर व एडवांस मांगने पर उन्होंने आवेदक को पुनः मात्र रू. 1,00,000/– का पेमेंट करते हुए सिर्फ सिविल ड्राइंग देने का आग्रह किया। तद्नुसार आवेदक ने प्लांट की सिविल ड्राइंग प्रदाय कर दी।

4. अनावेदक द्वारा आवेदक को दिनांक 20.07.2013 को पुनः पत्र लिखा गया जिसमे हमारे E-Mail दिनांक 06.06.2013 का जिक्र करते हुये रू. 50,000/– का एडवांस दिया तथा उनके प्लांट की ले–आउट ड्राइंग जो की आवेदक काफी समय से मांग कर रहे थे तथा जो सिविल ड्राइंग के लिए आवश्यक थी, प्रदाय की गई।

5. आवेदक ने दिनांक 31.10.2013 को अपना Proforma Invoice अनावेदक को यह सूचित करते हुये भेजी की उपकरण डिलीवरी के लिए तैयार है और वो आवेदक को रु. 6,47,500/– रू. 2,00,000/– प्राप्त होने के अलावा, का भुगतान कर दे ताकि आवेदक उपकरण डिस्पैच कर सके। अनावेदक द्वारा रू. 5,60,000/– प्राप्त हुये एवं आशवस्त किया की बची हुई 10 प्रतिशत

..........4

राशि रु 87,250/– इंस्टालेशन के तुरंत बाद दे दी जाएगी।

6. अनावेदक ने सूचित किया की सिविल वर्क पूर्ण हो चूका है, तथा उपकरण के इंस्टालेशन के लिए अपना इंजीनियर/टेक्नीशन भेजे। ग्रेनटेक फूड्स के निवेदन पर इंजीनियर को 28.11.2013 को साइट पर भेजा तथा यह पाया गया की अनावेदक ने अपना सिविल कॉन्स्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण नहीं किया है, तथा गलत जानकारी देकर साइट पर बुलाया है। इसका प्रमाण उपरोक्त दिवस पर बनाये गये MOM (मिनटस ऑफ मीटिंग) है जिसकी प्रति आवेदक ने संलग्न प्रस्तुत की है।

7. इसके उपरांत इक्विपमेन्ट इरेक्शन का काम सहयोगी संस्था सोम्या एनवायरो टेक, ग्वालियर को सौंपा जिन्होंने यह कार्य पूर्ण कर के हमें 22.01.2014 को बिल रु. 20,000/– का प्रस्तुत किया, जिसका भुगतान आवेदक ने मेसर्स ग्रेनटेक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि करने के बाद सोम्या एनवायरो टेक, ग्वालियर को कर दिया गया। सोम्या एनवायरो टेक के बिल के कॉपी संलग्न है।

8. अनावेदक द्वारा 19.07.2011 से 07.02.2013 तक न तो हमसे संपर्क किया न ही हमारे द्वारा किये Follow-up का कोई जवाब दिया गया। वस्तु स्थिति मे अनावेदक के प्रोजेक्ट मे देरी होने की वजह से अनावेदक स्वयं की और से देरी कर रहा था तथा आवेदक को दोषी करार करने का प्रयास कर रहा है। इसकी पुष्टि अनावेदक के प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न Pollution Control Board के नोटिस से स्वतः हो जाती है। नोटिस के अनुसार यह साफ हो जाता है की अनावेदक ने उत्पादन का कार्य 15.08.2013 से प्रारम्भ किया, जबकि अनावेदक ने हमारे द्वारा परफॉर्मा देने के 18 दिन बाद दिनांक 18.11.2013 को भुगतान किया। अनावेदक ने प्रदुषण निवारण मंडल की प्रोविजनल सहमति दिनांक 27.02.2014 को जारी होने के लगभग 4 माह पहले ही अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था।

9. अनावेदक ने जनवरी 2014, हमारे द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात, हमसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया, न हीं आवेदक द्वारा भेजे गये कोई ई–मेल अथवा पोस्टल रिमाइंडर का किसी प्रकार का कोई जवाब दिया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिल जो की तथाकथित रूप से ETP से सम्बंधित बताये जा रहे है, असत्य है एवं भ्रामक है। अनावेदक ने हमें भाड़े (Freight) का पेमेंट भी हमारे द्वारा फैसिलिटेशन कॉउन्सिल मे लगाए गए दावे का नोटिस मिलने के बाद दिनांक 04.09.2014 को किया गया है।

10. आवेदक द्वारा प्रदाय किये प्लांट मे कही भी 2HP . की मोटर का उपयोग नहीं हो सकता जिसका उल्लेख अनावेदक ने पृष्ठ. क्र. 2 सीरियल. न. (1) तथा 4 मे किया है। अतः उपरोक्त कथन असत्य होकर फलिसिटेशन कॉउन्सिल को गुमराह करने का एक प्रयास है।

11. पृष्ठ क्र. 2 सीरियल न. 2 से 6 तक जनरल हार्डवेयर और प्लम्बिंग से सम्बन्ध रखता है। तथा किसी भी प्रकार से इसका सम्बन्ध हमारे द्वारा प्रदाय किये प्लांट से नहीं हो सकता है।

..........5

12. आवेदक द्वारा प्रदाय किये प्लांट मे CPVC / UPVC पाइपिंग का प्रयोग किया गया है ना कि GI पाइप जैसा कि अनावेदक ने सीरियल न. 4 पर दर्शाने की कोशिश की है।

13. सीरियल न. 7 पृष्ठक्र. 2 पर दर्शाया गया 14,400/- रु का बिल भी असत्य प्रतीत होता है। उपरोक्त बिल पर बिल क्र. 19 दिनांक 09.05.2015 तथा आर्डर डेट 16.05.2015 दर्शाई गयी है ,इससे यह साफ होता है की यह मटेरियल पहले प्राप्त हुआ तथा आर्डर बाद मैं दिया गया।

14. उपरोक्त बिल प्लांट के कमीशन होने के लगभग 16 माह बाद का है तथा प्लांट के गारंटी पीरियड समाप्त होने के बाद का है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पश्ट है की अनावेदक द्वारा दी गयी जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के बाद पूर्ण रूप से सोची समझी रणनीति के तहत, असत्य तथ्यों पर आधारित है, तथा मात्र गुमराह करने की कोशिश है।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.06.2016, 21.12.2016, 15.03.2017, 27.01.2018, 27.08.2018, एवं दिनांक 14.07.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई-मेल जारी किये गये।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को आवेदक वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से उपस्थित।

अनावेदक टेली कॉन्फ्रेंस पर उपस्थित।

आवेदक द्वारा आने पक्ष में बहस की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017 की स्थिति में अनावेदक को उन्हे राशि रू. 1,38,668/- देना बाकी है।

अनावेदक टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना पक्ष रखा।

प्रकरण गुण-दोश के आधार पर आदेश हेतु नियत किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्नक अभिलेखों का परीक्षण एव अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा जारी अभिस्वीकृति क्रमांक IDTIC/MSME/10/4582, दिनांक 24.06.2011 के अनुसार, आवेदक की इकाई Entrepreneurs Memorandum Number 23 026 11 02607 PART-II, दिनांक 24.06.2011 को पंजीकृत होकर, आवेदक की इकाई सूक्ष्म उद्यम है। आवेदक द्वारा Water Treatment Plant Manufacturing, Repairing & Servicing का कार्य किया जाता है।

आवेदक एवं अनावेदक के मध्य विवाद का विषय, आवेदक के सूक्ष्म उद्यम में पंजीकृत होने के दिनांक 24.06.2011 के पश्चात का है। अतः आवेदक इस काउन्सिल में दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता रखता है।

आवेदक द्वारा अनावेदक के प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 के अनुसार अनावेदक को सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना एवं मशीन का प्रदाय कर, इन्वाईस क्रमांक 011006/13-14, दिनांक 18.11.2013 की वेट टैक्स सहित राशि रू. 8,47,500/- में से अनावेदक द्वारा कुल राशि रू. 7,60,000/- का भुगतान किया गया है तथा शेषराशि रू. 87,500/- का भुगतान अनावेदक

..........6

द्वारा नही किया जाना स्वीकार किया है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनाक 19.04.2016 अन्तर्गत आवेदक की 10 प्रतिशत रोकी गई राशि रू. 87,500/– का भुगतान नही करने के निम्न वाद कथन उल्लेखित किये गये है :–

1. अनावेदक द्वारा ई.टी.पी. के संपादन हेतु दिनांक 19.07.2011 को आदेश दिया गया था और चेक न0 260434 से रू. 50,000/– अग्रिम दिये थे। आवेदक फर्म को ई.टी.पी. के कार्य को पुरा करने के लिये छ माह का समय दिया गया था, परन्तु आवेदक फर्म द्वारा निरन्तर प्रयास के उपरांत भी अक्टूबर 2013 तक कार्य पूर्ण नही किया है, जबकि फरवरी 2013 एवं जूलाई 2013 में मांग करने पर ओर भी अग्रिम राशि दी गई है। आवेदक द्वारा आर्डर देने के 2 वर्ष बाद नवम्बर 2013 में ई.टी.पी. का सामान पहूँचाया है और कार्य भी अधुरा छोड़ दिया गया है।

2. ई.टी.पी. कार्य समय पर पूर्ण नही होने पर, अनावेदक को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृति नही मिली, जिसकी वजह से कंपनी का कामर्शियल प्रोडक्शन चालु नही हो सका, जिसकी वजह से कंपनी को पारले बिस्किट्स प्रा. लि. के सामने गुडविल एवं इन्टरेस्ट का लॉस हुआ है, जिसका प्रमाण बैंलेन्स शीट से होता है।

3. अनावेदक कंपनी के प्रोडक्शन मैनेज़र श्री प्रदीप कुमार पांडेय जी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात आवेदक को फोन पर सूचित किया कि कार्य अधुरा व गलत किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नही लिया गया है।

4. पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा फेक्ट्री का निरीक्षण किया गया और वही कमिया पाई गई और नोटिस क्रमांक 1758, दिनांक 03.05.2014 प्राप्त हुआ, जो प्रस्तुत है, के कारण अनावेदक कंपनी को पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का क्लीयरेंस नही मिला और कार्य को बीच में छोड़कर ई.टी.पी में सुधार करावाना पड़ा, जिसकी सूचना आवेदक को फोन द्वारा दी गई, फिर भी आवेदक द्वारा कोई कार्य नही कराया गया।

5. पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा दिये गये नोटिस का समय पर पालन करना अनिवार्य था, इसलिये अन्य द्वारा कार्य को पूर्ण कराया गया।

अनावेदक के उक्त उत्तर कथनों पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं अभिलेख के प्रकाश में काउन्सिल का विश्लेषण निम्नानुसार है :–

1. अनावेदक द्वारा आवेदक के ऑफर (कोटेशन) नंबर PWTPL/WW TO/029/ 0079/11-12 दिनांक 20.05.2011 को स्वीकार करते हुए, पत्र दिनांक 19.07.2011 से राशि रू. 50,000/– का अग्रिम चेक दिया गया एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना एवं मशीन के प्रदाय हेतु प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 आवेदक को जारी किया गया।

..........7

आवेदक के ऑफर (कोटेशन) में सामग्री प्रदाय एवं भुगतान शर्ते निम्नानुसार है :–

Delivery -	6 Weeks from the date of receipt of your firm order along with advance payment.
Payment Term	4% Advance along with order 20% after Submision of Drawings 3% along with 100% Taxes against proforma Invoice prior to Dispatch. 10% after Commissioning or within 60 days of daate of supply whichever is earlier.

अनावेदक द्वारा जारी प्रदाय आदेश में सामग्री प्रदाय एवं भुगतान की शर्ते निम्नानुसार है :–

Delivery -	You shall deliver the system within 8 Weeks from the date of receipt of the order with advance.
Payment Term	4% Advance along with order enclosed by Cheque No. dt. for Rs. Drown on Bank Balance 60% with Taxes and duties to be paid against proforma Invoice prior to Dispatch of the plant.

आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्त अनुसार आर्डर के साथ, आर्डर की कुल कीमत का 40 प्रतिशत एडवांस के रूप मे तथा 60 प्रतिशत राशि एवं टैक्स की राशि मशीन प्रदाय करने के पूर्ण आवेदक द्वारा प्रोफार्मा इन्वाईस देने पर अनावेदक द्वारा देय होगी। तद्नुसार अनावेदक द्वारा प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 के अन्तर्गत, राशि रु 8,25,000/– की मशीन प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके अनुसार 40 प्रतिशत राशि रू. 3,30,000/– अनावेदक द्वारा आवेदक को देय थी, किन्तु अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 19.07.2011 से राशि रू. 50,000/– आवेदक को अग्रिम भुगतान किया गया है। इसके पश्चात लगभग डेढ़ वर्ष बाद फरवरी 2013 में अनावेदक द्वारा राशि रू. 1,00,000/– एवं इसके चार माह बाद जूलाई 2013 में रू. 50,000/– अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार अनावेदक द्वारा आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्त 40 प्रतिशत राशि रू. 3,30,000/– के विरूद्ध कुल अग्रिम राशि रू. 2,00,000/– का ही आंशिक भुगतान किया लगभग दो वर्ष में किया है।

आवेदक द्वारा अनावेदक से पूर्ण अग्रिम 40 प्रतिशत राशि प्राप्त नही होने के उपरांत भी, मशीन निर्मित कर, आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्त अनुसार, मशीन के प्रदाय पूर्व, आवेदक ने पत्र दिनांक 31.10.2013 से अनावेदक को डिलीवरी के लिए तैयार उपकरण तैयार होने की सूचना देते हुए, टैक्स सहित कुल राशि रू. 8,47,500/– की प्रोफार्मा इन्वाईस भेजकर, अग्रिम राशि के समायोजन पश्चात राशि रू. 6,7,500/– का भुगतान करने हेतु लिखा गया, ताकि आवेदक उपकरण डिस्पैच कर सके, किन्तु अनावेदक द्वारा राशि रू. 5,60,000/– का भुगतान किया गया एवं आशवस्त किया की शेष10 प्रतिशत राशि रु 87,500/– इंस्टालेशन के तुरंत बाद दे दी जाएगी।

..........8

अनावेदक द्वारा ई.टी.पी. कार्य पूर्ण करने के लिये प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 अन्तर्गत छ माह का समय दिया गया था, परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्त अनुसार, 40 प्रतिशत अग्रिम राशि रू. 3,30,000/– में से राशि रू. 2,00,000/– का भुगतान किश्तो में यथा 19.07.2011 को 50,000/–, फरवरी–2013 में 1,00,000/– एवं जूलाई 2013 में रू. 50,000/– का अग्रिम भुगतान, लगभग दो वर्ष में किया गया है वही भी पूर्ण अग्रिम राशि का भुगतान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में ई.टी.पी. के कार्य को छ माह में पुरा किये जाने की अनावेदक की आपत्ति मान्य योग्य नही है। अनावेदक का यह कथन भी मान्य योग्य नही है कि आवेदक द्वारा आर्डर देने के 2 वर्ष बाद नवम्बर 2013 में ई.टी.पी. का सामान पहूँचाया है, क्यौकिअनावेदक द्वारा आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्तो को स्वीकार करने के पश्चात ही आवेदक को प्रदाय आदेश जारी किया गया किन्तु आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्तो का पालन करने में अनावेदक असफल रहा है।

2. अनावेदक द्वारा प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 को जारी करने के बाद, दिनांक 25 फरवरी 2013 में लगभग डेढ़ वर्ष बाद आवेदक को आंशिक अग्रिम रशि रू. 1,00,000/– का भुगतान करते हुए सिर्फ सिविल ड्राइंग देने का आग्रह किया। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा प्रदाय आदेश दिनांक 25.07.2011 से लगभग दो वर्ष होने पर, आवेदक को पत्र दिनांक 20.07.2013 से अग्रिम राशि रू. 50,000/– का आंशिक भुगतान करते हुए, उनके प्लांट की ले–आउट ड्राइंग, जिसके आधार पर आवेदक द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट की स्थापना हेतु सिविल ड्रांईग बनाकर अनावेदक को दी जाना थी, जो सिविल ड्राइंग के लिए आवश्यक थी, अनावेदक द्वारा अत्यधिक विलंब से प्रदाय की गई है।

शर्तानुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट की स्थापना हेतु सिविल ड्रांईग जो आवेदक द्वारा अनोवदक को उपलब्ध कराई जावेगी, के अनुसार सिविल वर्क अनावेदक द्वारा पूर्ण कराकर, आवेदक को सूचित करना था। अनावेदक ने सूचित किया की सिविल वर्क पूर्ण हो चुका है, तथा उपकरण के इंस्टालेशन के लिए अपना इंजीनियर/टेक्नीशियन भेजे। तद्नुसार आवेदक द्वारा इंजीनियर को दिनाक 28.11.2013 को साइट पर भेजा तथा यह पाया गया की अनावेदक ने अपना सिविल कॉन्स्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण नहीं किया है, तथा गलत जानकारी देकर साइट पर बुलाया है। इसका प्रमाण उपरोक्त दिवस पर बनाये गये MOM (मिनटस ऑफ मीटिंग) है जिसकी प्रति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिनांक 28.11.2013 MOM (मिनटस ऑफ मीटिंग) , जो अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसका अवलोकन करने पर आवेदक का उक्त कथन सत्य पाया गया कि दिनांक 28.11.2013 तक अनावेदक ने अपना सिविल कॉन्स्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण नहीं किया है।

अतः ई.टी.पी. कार्य समय पर पूर्ण नही होने एवं अनावेदक को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृति नही मिलने का कारण, उपरोक्तानुसार अनावेदक स्वयं है। अनावेदक द्वारा आवेदक के ऑफर (कोटेशन) की शर्तानुसार न, तों समय पर अग्रिम राशि का भुगतान किया एवं न, ही

..........9

अनावेदक द्वारा स्वयं के प्रदाय आदेशानुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट की स्थापना हेतु समयानुकुल आवश्यक कार्य संपादित किये गये। अतः अनावेदक की आपत्ति मान्य योग्य नही है।

3. अनावेदक की आपत्ति है कि अनावेदक कंपनी के प्रोडक्शन मैनेज़र श्री प्रदीप कुमार पांडेय जी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात आवेदक को फोन पर सूचित किया कि कार्य अधुरा व गलत किया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा किसी प्रकार का एक्शऩ नही लिया गया है।

आवेदक का कथन है कि इक्विपमेन्ट इरेक्शन का काम सहयोगी संस्था सोम्या एनवायरो टेक, ग्वालियर को सौंपा जिन्होंने यह कार्य पूर्ण कर के आवेदक को दिनांक 22.01.2014 को बिल रु. 20,000/— का प्रस्तुत किया जिसका भुगतान आवेदक ने मेसर्स ग्रेनटेक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि, करने के बाद सोम्या एनवायरो टेक, ग्वालियर को कर दिया गया। सोम्या एनवायरो टेक के बिल की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिनांक 22.01.2014 को कार्य पूर्ण कर दिया गया था। यदि आवेदक द्वारा किया गया कार्य अधुरा व गलत था, तो तत्समय अनावेदक द्वारा आवेदक को अधुरे एवं गलत कार्यो का उल्लेख कर, ई—मेल/पत्र से लिखित सूचना देना थी। अनावेदक द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत नही किया गया है जिससे, आवेदक द्वारा अधुरा व गलत कार्य किये जाने की पुष्टि की जा सके।

4. अनावेदक का कथन है कि पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा फेक्ट्री का निरीक्षण किया गया और वही कमिया पाई गई और नोटिस क्रमांक 1758, दिनांक 03.05.2014 प्राप्त हुआ, जो प्रस्तुत है, के कारण अनावेदक कंपनी को पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड का क्लीयरेंस नही मिला और कार्य को बीच में छोड़कर ई.टी.पी में सुधार करावाना पड़ा, जिसकी सूचना आवेदक को फोन द्वारा दी गई, फिर भी आवेदक द्वारा कोई कार्य नही कराया गया।

प्रथमतः प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा फेक्ट्री का निरीक्षण करने पर, कमिया पाई गई और नोटिस क्रमांक 1758, दिनांक 03.05.2014 जारी किया गया, तब भी अनावेदक द्वारा आवेदक को लिखित सूचना ई—मेल/पत्र द्वारा दिये जाने का कोई साक्ष्य स्वरूप पत्रादि प्रस्तुत नही किया है।

आवेदक द्वारा दिनांक 22.01.2014 को कार्य पूर्ण कर दिया गया था। पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा फेक्ट्री का निरीक्षण करने पर, नोटिस क्रमांक 1758, दिनांक 03.05.2014 को जारी किया गया है। आवेदक द्वारा दिये गये कोटेशन में अन्तिम 10 प्रतिशत राशि का भुगतान कमिशनिंग अथवा सामग्री प्रदाय से 60 दिवस में जो, पहले हो, में किया जाना था। तदनुसार कार्यपूर्णता दिनांक 22.01.2014 से 60 दिवस की अवधि दिनांक 22.03.2014 का पूर्ण हो गई थी एवं पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा फेक्ट्री का नोटिस दिनांक 03.05.2014 का है। अतः अनावेदक की आपत्ति निराधार होने

..........10

से अमान्य की जाती है।

5. अनावेदक का कथन है कि पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा दिये गये नोटिस का समय पर पालन करना अनिवार्य था, इसलिये अन्य द्वारा कार्य को पूर्ण कराया गया। तत्संबंध में अनावेदक द्वारा अन्य वेंडर्स से कार्य कराये जाने पर हुए व्यय का विवरण प्रस्तुत कर, व्यय के दृष्टिगत, आवेदक को देय 10 प्रतिशत राशि का भुगतान नही किये जाने का कारण उल्लेखित किया है।

उक्त संबंध में आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया हैः—

1. आवेदक द्वारा प्रदाय किये प्लांट मे कही भी 2HP . की मोटर का उपयोग नहीं हो सकता जिसका उल्लेख अनावेदक ने पृश्ठ. क्र. 2 सीरियल. न. (1) तथा 4 मे किया है। अतः उपरोक्त कथन असत्य होकर फेसिलिटेशन कॉउन्सिल को गुमराह करने का एक प्रयास है।

2. पृष्ठ क्र. 2 सीरियल न. 2 से 6 तक जनरल हार्डवेयर और प्लम्बिंग से सम्बन्ध रखता है। तथा किसी भी प्रकार से इसका सम्बन्ध हमारे द्वारा प्रदाय किये प्लांट से नहीं हो सकता है

3. आवेदक द्वारा प्रदाय किये प्लांट मे CPVC / UPVC पाइपिंग का प्रयोग किया गया है ना कि GI पाइप जैसा कि अनावेदक ने सीरियल न. 4 पर दर्शाने की कोशिश की है।

4. सीरियल न. 7 पृष्ठक्र. 2 पर दर्शाया गया 14,400 / — रु का बिल भी असत्य प्रतीत होता है। उपरोक्त बिल पर बिल क्र. 19 दिनांक 09.05.2015 तथा आर्डर डेट 16.05.2015 दर्शाये गयी है ,इससे यह साफ होता है की यह मटेरियल पहले प्राप्त हुआ तथा आर्डर बाद मैं दिया गया।

5. उपरोक्त बिल प्लांट के कमीशन होने के लगभग 16 माह बाद का है तथा प्लांट के गारंटी पीरियड समाप्त होने के बाद का है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है की अनावेदक द्वारा दी गयी जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के बाद पूर्ण रूप से सोची समझी रणनीति के तहत, असत्य तथ्यों पर आधारित है, तथा मात्र गुमराह करने की कोशिश है।

उक्त संबंध में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण एवं अवलोकन उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्को को उचित मानती है, क्यौंकि आवेदक द्वारा ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट का निर्माण एवं स्थापना का कार्य किया गया है एवं उन्हे विशेषज्ञता हासिल है। आवेदक भलीभॉति जानता है कि प्लांट मे कौन—कौन से उपकरण लग सकते है।

आवेदक का यह कथन भी उचित है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिल प्लांट के कमीशनिंग होने के लगभग 16 माह बाद का है तथा प्लांट के गारंटी पीरियड समाप्त होने के बाद का है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है की अनावेदक द्वारा दी गयी जानकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे के बाद पूर्ण रूप से सोची समझी रणनीति के तहत, असत्य तथ्यों पर आधारित है, तथा मात्र गुमराह करने की कोशिश है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन कि पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा दिये गये नोटिस का समय पर

..........11

पालन करना अनिवार्य था, इसलिये अन्य द्वारा कार्य को पूर्ण कराया गया एवं इस कारण से आवेदक को भुगतान नही किया जाना, आवेदक द्वारा दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद, बनाये गये, पश्चातवर्ती तथ्य प्रतीत होते है।

उपरोक्तानुसार अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर अन्तर्गत ली गई आपत्तियॉ निराकृत होने से, आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत विलंबित संदाय राशि रू. 87,500/— एवं दिनांक 29.02.2016 तक की ब्याज राशि रू. 51,168/— का दावा स्थापित होता है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर आपत्ति में आवेदक द्वारा दावा की गई ब्याज राशि पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि में अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

सुनवाई दिनांक 14.07.2020 के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा ई—मेल दिनांक 27.07.2020 को अनावेदक पर बकाया संदाय राशि रू. 87,500/— पर, दिनांक 31.07.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 3,58,882/— का ब्याज गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया।

अतएव, ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017'' के नियम—09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक मेसर्स ग्रेनटेक फुड इंडिया प्रा. लि., प्लॉट न0 आर—7, औद्यौगिक क्षेत्र घिरोंगी, मालनपुर जिला भिण्ड—477 001 (म.प्र.) द्वारा, बकाया संदाय राशि रू. 87500/— (रूपये सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 31.07.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 3,58,882/— (रूपये तीन लाख अट्ठावन हजार आठ सौ बयासी मात्र) कुल राशि रू. 4,46,382/— (रूपये चार लाख छियालिस हजार तीन सौ मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 01.08.2016 से भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक मेसर्स पेरागान वाटर टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. 501—502, विक्रम टॉवर, चौथा माला, सपना—संगीता मेन रोड़, इन्दौर—452 001 (म.प्र.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक

..........12

प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी / अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद'' भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।